छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
----------------------

क्र.: **GENCOR-35/3510/2026-UAD** नवा रायपुर अटल नगर, दि.04-05-2026

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम,
   छत्तीसगढ़।

2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
   छत्तीसगढ़।

विषय:- सुशासन तिहार-2026, जन शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं जनसमस्या निवारण शिविरों के आयोजन हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त अर्धशासकीय पत्र क्र. 185 दिनांक 15.04.2026।

---00---

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में ''सुशासन तिहार 2026'' के अंतर्गत निकायों द्वारा निम्नलिखित कार्यवाहियां प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाएं:-

**1. लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण (30 अप्रैल 2026 तक)**

निकाय स्तर पर लंबित निम्नलिखित विषयों पर विशेष ध्यान देकर निराकरण सुनिश्चित करें:-

- **भूमि संबंधी विषय :** नगरीय क्षेत्रों में नामांतरण और सीमांकन के लंबित प्रकरणों का त्वरित निपटारा।
- **प्रमाण पत्र :** आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र हेतु लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन।
- **पेयजल एवं बिजली :** नगरीय क्षेत्रों में बंद हैंडपंपों की मरम्मत, पाइपलाइन विस्तार एवं खराब ट्रांसफार्मर/स्ट्रीट लाइट संबंधी शिकायतों का निराकरण।
- **हितग्राही योजनाएं :** राशन कार्ड, आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था/सामाजिक सुरक्षा पेंशन और उज्ज्वला योजना के पात्र हितग्राहियों के लंबित प्रकरणों का भुगतान एवं लाभ सुनिश्चित करना।

**2. जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन (01 मई से 10 जून 2026)**

- **क्लस्टर आधारित शिविर :** नगरीय क्षेत्रों में वार्डों के क्लस्टर बनाकर ‘‘जन समस्या निवारण शिविर‘‘ आयोजित किए जाएं।
- **समय सीमा :** शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण अनिवार्य है।
- **अनिवार्य सूचना :** प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन के निराकरण की स्थिति की लिखित या डिजिटल सूचना अनिवार्य रूप से दी जाए।

**3. व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनभागीदारी**

- **स्वच्छता वाहन एवं डिस्प्ले :** निकायों के स्वच्छता वाहनों (कचरा गाड़ियों) के माध्यम से ऑडियो संदेश, और वार्डों में बैनर/पोस्टर के जरिए शिविरों का प्रचार करें।
- **जनप्रतिनिधियों की सहभागिता :** शिविरों के आयोजन की जानकारी स्थानीय माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं पार्षदों को अनिवार्य रूप से दी जाए ताकि इसे एक जन-आंदोलन बनाया जा सके।

**4. औचक निरीक्षण एवं समीक्षा हेतु तैयारी**

- **औचक निरीक्षण :** माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री एवं सचिवों द्वारा विकास कार्यों का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। अतः कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति अद्यतन रखें।
- **समीक्षा बैठक :** जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में समाधान शिविरों के डेटा और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की बिंदुवार जानकारी के साथ उपस्थित रहें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सुशासन की स्थापना हेतु उक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न:- मुख्यमंत्री सचिवालय का पत्र
क्र. 185, दिनांक 15.04.2026

Digitally signed by
BHAGWAT JAISWAL
Date: 04-05-2026
11:12:41

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्र.GENCOR-35/3510/2026-UAD नवा रायपुर अटल नगर, दि.04-05-2026

प्रतिलिपि:-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।

3. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
4. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/ अंबिकापुर एवं जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।